सवाई माधोपुर बांध परियोजना के लिए आवंटित धनराशि

71. डा० अबरार अहमद खान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 से 28 फरवरी, 1990 तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर बांध परियोजना के लिए प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) क्या अकाल के दौरान कोई अतिरिक्त धनराशि भी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो वह राशि कितनी थी, और इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ;

(ङ) क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान क्रमश: केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बांध परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि और इस पर किए गए व्यय के संबंध में कोई लेखा परीक्षा की गई है : यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और यदि नहीं, तो उक्त व्यय के लिए कौन दोषी हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है कि धनराशि को वास्तव में वनों पर ही खर्च किया जाए तथा क्या लेखापरीक्षक इस प्रकार व्यय की गई धनराशि की वास्तविकता से संतुष्ट है, यदि हां, तो उनकी राय का आधार क्या है, क्या वाउचरों के अलावा कोई अन्य साक्ष्य अथवा चिन्ह हैं ; और

(च) क्या लेखा परीक्षा में कोई कमी पाई गई है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Change in policy of literacy campaign

72. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of literate persons in the country as at the end of the year 1989;

(b) whether Government propose to make any policy change in order to speed up the literacy campaign in the country;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M.G.K. MENON): (a) According to 1981 census, the number of illiterate persons in all age-groups in the country was 42.43 crores, excluding Assam where census could not be held. As census operations are conducted once in 10 years, such information for the year 1989 is not available.

(b) and (c) Besides effecting improvements in the on-going programmes by way of reorganisation of the project pattern and improving the pace and content of learning, the programme will be implemented as a societal mission and as a national campaign by mobilising and involving all sections of the society like teachers, students, non-student youth house-wives, ex-servicemen, voluntary organisations, employers in the

public and private sector, co-operative societies, banks and other financial institutions, etc. The emphasis will be on area approach and for covering particularly a large number of women and persons belonging to Scheduled castes/Scheduled tribes in the Programme.

(d) Does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

73. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है तथा इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा क्या-क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या क्रमश: 4991 तथा 2566 है ।

(ख) सीधी भर्ती कोटे में अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% आरक्षण है । यह आरक्षण अखिल भारतीय आधार पर रखा जाता है । नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में है

विवरण

I. भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या

क्रम संख्या	संवर्ग का नाम	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	असम-मेघालय	10	33
2.	आन्ध्र प्रदेश	42	31
3.	बिहार	35	22
4.	गुजरात	25	10
5.	हिमाचल प्रदेश	11	13
6.	हरियाणा	35	2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	9	4
8.	केरल	23	6
9.	कर्नाटक	37	8
10.	महाराष्ट्र	42	11
11.	मध्य प्रदेश	44	19
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	5	29
13.	नागालैंड	—	21
14.	उड़ीसा	19	7
15.	पंजाब	29	1
16.	राजस्थान	26	13
17.	सिक्किम	4	14
18.	तमिलनाडु	48	10
19.	उत्तर प्रदेश	75	11
20.	पश्चिम बंगाल	31	15
21.	संघ राज्य क्षेत्र	22	18
	योग :	572	280